समता ज्योति

वर्ष : 14 अंक : 03 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 मार्च, 2023

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

महिला आरक्षण विधेयक पर सियासत तेज, संसद सत्र में बिल पेश करने की मांग पर अड़ी कांग्रेस

कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में 2010 के राज्यसभा में महिला आरक्षक विधेयक पारित तो हुआ था, लेकिन लोकसभा में इसे समर्थन नहीं मिला था।

महिला आरक्षक विधेयक को लेकर सियासत तेज हो गई है। वहीं, कांग्रेस ने भी इस विधेयक को लेकर भाजपा से सवाल किया है। कांग्रेस ने भाजपा से इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करने की मांग की है। साथ ही कांग्रेस ने इसे संसद के बजट सत्र में पेश करने की भी मांग की है। गौरतलब है कि संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 13 मार्च से शुरू हो, जो कि चार अप्रैल तक चलेगा।

2010 में राज्यसभा में हुआ था पारित

कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में 2010 के राज्यसभा में यह विधेयक पारित तो हुआ था, लेकिन लोकसभा में इसे समर्थन नहीं मिला था। इस पर पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक ट्वीट पर कहा. '9 मार्च 2010 को राज्यसभा में कांग्रेस नेतृत्व के प्रयासों के कारण ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया था। लेकिन लोकसभा में इसे समर्थन नहीं मिला। यह विधेयक लैप्स नहीं हुआ है बल्कि अभी तक जीवित और लंबित है। अलका लांबा ने की यह टिप्पणी

एक संवाददाता सम्मेलन में जब विधेयक पर कांग्रेस नेता अलका लांबा से बातचीत की गई तब उन्होंने कहा कि जब यह विधेयक राज्यसभा में पारित हुआ थाए तब कांग्रेस के पास बहुमत नहीं था। उस समय यह गठबंधन वाली सरकार थी। उन्होंने आगे कहा. ष्हम राज्यसभा में बहुमत पारित कराने में कामयाब हुए थे। यह अभी भी जीवित है और भाजपा के पास लोकसभा में बहुमत भी है। उन्होंने भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा. अपने 2019 के घोषणापत्र में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का वादा किया थाए लेकिन नौ साल सरकार में रहने के बाद भी इस पर चुप्पी बनाकर बैठे हैं।'

संसद सत्र के शुरू होने से पहले अलका लांबा ने भाजपा सरकार को घेरते हुए इस विधेयक पर अपना रुख स्पष्ट करने के अलावा महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा में पेश करना और महिलाओं के अधिकारों को सुनिश्चितता की मांग की है।

महिलाओं के लिए आरक्षण के साथ-साथ ''आरक्षण के भीतर आरक्षण'' पर भी काम होना चाहिए: के. कविता

बीआरएस सांसद के. कविता की मांग महिला आरक्षण विधेयक संसद में पेश किया जाए का विपक्षी नेताओं ने भी समर्थन किया है।

भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की सांसद के. कविता की ओर से अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में 13 विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में सभी ने सर्वसम्मति से संसद के मौजूदा बजट सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पेश करने की मांग की। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल सहित कुछ दलों ने मांग की कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने वाले कानून में पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए।

बैठक में चर्चा के दौरान कविता ने कहा कि उनका और उनकी पार्टी बीआरएस का दृढ़ विश्वास है कि महिलाओं के लिए आरक्षण के साथ-साथ ''आरक्षण के भीतर आरक्षण'' पर भी काम किया जाना चाहिए।

पिछले दिनों सपा और राजद ने मांग की थी कि विधेयक में पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए कोटा होना चाहिए।

बैठक में भाकपा सांसद बिनय विश्वम, द्रमुक सांसद टी सुमति, सपा सांसद एसटी हसन, झामुमो सांसद महुआ मांजी, राजद सांसद मनोज झा, शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, आप सांसद राघव चड्ढा और आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्रन शामिल हुए। चर्चा में भाग लेते हुए हसन और झा दोनों ने लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण के भीतर आरक्षण की मांग उठाई।

हसन ने कहा, हम महिला आरक्षण विधेयक का पूरी तरह समर्थन करते हैं, लेकिन इस आरक्षण के भीतर पिछड़ी, अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए। सम्मेलन में शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि संविधान के संस्थापक वोट देने के अधिकार के साथ ही महिलाओं के प्रतिनिधित्व में विश्वास करते हैं। उन्होंने दावा किया कि कई प्रासंगिक विषयों पर महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है।

कविता ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि देश और समाज के समग्र विकास और वृद्धि के लिए महिलाओं को निर्णय लेने में बड़ी भूमिका दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मंच से संदेश स्पष्ट है कि राजनीतिक दलए विशेष रूप से विपक्ष के लोग महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन में हैं और यह मौजूदा सरकार है जो कोई पहल नहीं कर रही है।

पिछले सप्ताह कविता संसद के मौजूदा बजट सत्र में इस विधेयक पेश करने की मांग को लेकर यहां जंतर मंतर पर एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठी थीं।

आरक्षण का जिन्न फिर बाहर

ईडब्ल्यूएस की सीमा 10 की जगह 14 प्रतिशत करने की मांग

जयपुर। प्रदेश में चुनावी वर्ष के दौरान आरक्षण का जिन्न फिर से बाहर आ गया है। ओबीसी आरक्षण को बढाकर 27 प्रतिशत की मांग तो प्रदेश में लम्बे समय से उठ रही है। अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण को भी दस प्रतिशत से बढाकर 14 प्रतिशत करने की मांग उठ गई है।

श्री क्षत्रिय युवक संघ के खातीपुरा स्थित कार्यालय में सांसद विधायक और पूर्व विधायकों की एक बैठक हुई। इसमें 25 से ज्यादा वर्तमान जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इन जनप्रतिनिधियों में सभी प्रमुख दलों के नेता शामिल थे। बैठक का मुख्य मुद्दा ईडब्ल्यूएस आरक्षण रहा। बैठक में इस बात पर सहमति जताई गई की ईडब्ल्यूएस आरक्षण की सीमा 10 प्रतिशत से बढाकर 14 प्रतिशत की जाए।

बैठक में वक्ताओं ने कहा कि राज्य विधानसभा में कांग्रेस और भाजपा की सरकारों ने आर्थिक पिछड़ों को 14 प्रतिशत आरक्षण का बिल पास किया हुआ है। अत: इस बिल की सीमा को तुरन्त प्रभाव से लागू किया जाए।

नवोदय स्कूलों में ईडब्ल्यू एस को नहीं मिल रहा आरक्षण

जयपुर। जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रवेश प्रक्रिया में ईडब्ल्यूएस केटेगरी को 10 प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। इस केटेगरी को आरक्षण देने की मांग को लेकर राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड के सदस्य देवेन्द्र सिंह बुटाटी ने केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान को पत्र लिखकर कहा है कि नवोदय विद्यालयों में 2023-24 में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए जारी दिशा निर्देशों में ईडब्ल्यूएस को 10 प्रतिशत आरक्षण का कही भी जिक्र नहीं है। आवेदन करते समय इस केटेगरी के अभ्यार्थियों को जनरल केटेगरी भरनी पड़ रही है। जबकि केन्द्र सरकार ने ईडब्ल्यू एस को दस प्रतिशत आरक्षण दे रखा है। सभी भर्तियों, विद्यालयों में प्रवेश इस केटेगरी को आरक्षण दिया जाता है। नवोदय विद्यालय में भी प्रावधान किया जाए।

अध्यक्ष की कलम से

''जातीय सहिष्णुता''

साथियों,

देश की सबसे बड़ी पार्टी के आदरणीय व्यक्ति मोहन भागवत कह चुके हैं कि अगले हजार साल तक आरक्षण समाप्त नहीं हो सकता। राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया कह चुके हैं कि आरक्षण कभी समाप्त नहीं होगा। स्वयं प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि मेरे रहते आरक्षण समाप्त नहीं होगा।

इतने बड़े और बलवान नेता यदि कुछ कहते है तो अवश्य ही इसका निहितार्थ होता है। इस निहितार्थ के पीछे 2016 का वह बितंड भी हो सकता है जिसने पूरे भारत को सन्न कर दिया था। कुल 17 जन की मौत और करोड़ों रूपयों की संपत्ति नुकसान के बाद केन्द्र सरकार ने आनन-फानन संविधान संशोधन किया और आरक्षित वर्ग के हिंसक लोगों पर से सारे मुकदमें वापस ले लिये गये थे। भारत को पंडित नेहरू की 1961 की सनद याद आ गई कि आगे चलकर यह जाति आरक्षण अभिशाप सिद्ध होगा।

सरकारों को सरकार होना ही पड़ता है और शांति व्यवस्था उसकी प्राथमिकता है। लेकिन किसी समय में धार्मिक तुष्टिकरण एक समस्या बन गया था ठीक उसी तरह जातीय तुष्टिकरण भी आज गंभीर समस्या बन चुका है। समन्वय समता सहिष्णुता की गिनती समाप्त होना उचित नहीं है। बेशक संसद से ऊंची होती हैं केन्द्र सरकारें क्योंकि उनके पास संविधान संशोधन तक का अधिकार होता है।

हमारी केन्द्र सरकार से प्रार्थना है कि वो लगभग नेतृत्वहीन दलित समाजों को तुष्टिकरण का औजार बनने से रोकने के लिए कोई मध्यम मार्ग अपनाए। अन्यथा 133 करोड़ जनता का देश अनियंत्रित भी हो सकता है।

जय समता

सम्पादकीय

''रंगा सियारों का काल समाप्त हो'

हाल ही जयपुर के यूथ क्लब में राजपूत और ब्राह्मण समाजों ने संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस में घोषणा की है कि- अब और अन्याय सहन नहीं किया जायेगा- जाहिर है कि उनका इशारा जातिगत आरक्षण की तरफ ही था। ''अन्याय'' शब्द को प्रमाणित करना साधारणत: कठिन है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा इंदिरा साहनी (नौ जजों की संविधान) पीठ के केस में दिये गये फैसले से आज तक जितने भी निर्णय दिये गये है उनमें से 95 प्रतिशत जातिगत आरक्षण को संविधान की मूल भावन के तहत नहीं देखकर पार्टियों और सरकारों ने मनमानी की है।

जनतंत्र में जन भागीदारी एक जुमला बन कर रह गयी है। कौन नहीं जानता कि 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के समय देश की जनसंख्या मात्र 33 करोड थी जो आज बढकर 133 करोड़ हो गई है। अत: कथित रूप से जिन समाजों पर तब सामाजिक उपेक्षा का आरोप लगा संविधान में मात्र दस सालों के लिए आरक्षण लागू किया गया था आज उन कथित दलितों की तीन नई पीढियॉ संवैधानिक और शासन सुरक्षा के बाद भी यदि दलित और पिछड़ी ही मानी जा रही है तो राजपूत और ब्राह्मण समाज स्वयं को अन्याय का शिकार मानता है तो उसमें सच्चाई लगती है।

हालांकि यह तथ्य पूरे देश पर लागू होता है लेकिन सांकेतिक रूप में केवल राजस्थान का उदाहरण लिया जाये तो 200 सीटों की विधानसभा में सारी पार्टियों और नेताओं को केवल 59 सीटे ही दिखाई देती है। सुविधा और साधनों की सारी धाराएं मानों इन्हीं 59 सीटों के लिए बह रही हैं। यहां तक कि केन्द्र सरकार की मंशा भी ऐसी ही दिखाई देती है। यह तथ्य है कि देश में अब तक जितने भी संविधान संशोधन हुये है उनमें सर्वाधिक संख्या जातिगत आरक्षण को लेकर हुये संशोधनों की है। जबकि पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक बार-बार ''वसुधैव कुटुम्बकम'' शब्दों का उच्चारण करते है, लेकिन यथार्थ में यह भारत में भी लागू नहीं है।

बहुत साल पहले भारतेन्दु हरीश चंद्र का नाटक पढा था- ''अंधेर नगरी चौपट राजा''। इसके अंतिम दृश्य में राजा किसी अपराधी को फांसी की सजा देता है, और जब फांसी का फंदा अपराधी के गले में फिट नहीं बैठता तो राजा आदेश देता है कि जिस किसी दूसरे इन्सान के गले में फंदा सही बैठता है उसे ही फांसी पर लटका दिया जाये। '' मौटे तौर पर जाति आरक्षण को लेकर यह नाटक आज भी सटीक और सही लगता है। क्योंकि आजादी से पहले 564 रियासतों में इतने ही मौखिक संविधानों के साथ अंग्रेजों के स्वयं की सुरक्षा के लिए बने इंग्लैंड के संविधान और कानूनों के चलते किसने किस पर क्या अत्याचार किये उसका संवैधानिक भारत में क्या लेना देना है?

ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि देश में सबसे बड़ी समस्या जाति आधारित आरक्षण है। लेकिन इतना तो मानना ही पड़ेगा कि लगभग 60 प्रतिशत देशज समस्याओं के मूल में जातिगत आरक्षण है। और इसके चलते विवेक को लम्बी छुट्टियों पर भेज दिया गया है। अन्यथा ऐसा कभी नहीं होता कि राष्ट्रीय समाज के 49 प्रतिशत लोगों को सामाजिक सुरक्षा देने के नाम पर शेष 51 प्रतिशत को सूली पर चढाने का परोक्ष प्रयास सतत रूप से चलता रहता।

तथ्य यही है कि जिन कथित दलितों को न्याय देने के नाम पर जातिगत आरक्षण की व्यवस्था की गई थी उन्हें न्याय मिल चुका है। अब उन की सबसे बड़ी बाधा उन्हीं के समाज के वे लोग है जो 'क्रीमीलेयर' बन कर भी दलित की खाल ओढकर ''रंगा सियार'' की कथा चरितार्थ कर रहे हैं।

जय समता।

- योगेश्वर झाड़सरिया

लोकसत्ता में भागीदारी के लिए सक्रिय हुए जातीय सामाजिक संगठन

देश में मार्च का महिना बजट का हुआ करता था। लेकिन इस बार लगता है जातीय समाजों की सक्रियता का महिना होकर रह गया है; मीडिया और प्रेस प्रसन्न है कि मात्र छ:सात माह बाद होने वाले चुनावों की सामाजिक व जातीय सरगर्मी से इन्हें समाचार संकलन के लिए खूब सामग्री मिल जायेगी।

जातीय समाजों की सक्रियता कोई नई बात नहीं है। लेकिन इनसे समाजों को कितना लाभ मिलता है यह शोध का विषय है। हाल प्रदेश की जाट समुदाय ने ''जाट महाकुंभ'' के नाम से बड़ा प्रदर्शन जयपुर में किया और मांग की कि उनका आरक्षण प्रतिशत बढाया जाये। लेकिन पूरे जाट महाकुंभ में एक बिखराव की सी स्थिति नजर आई। बेनीवाल गुट ने न केवल स्वयं को अलग रखा वरन आयोजकों ने हनुमान बेनीवाल गुट पर कई तंज भी कसे।

मंच पर भी वैचारिक एक्य दिखाई नहीं दिया। एक वक्ता ने जाट मुख्यमंत्री की बात की तो दूसरे ने इसे खारिज करते हुये गृहमंत्री पद की मांग कर दी। फिर तीसरे ने वापस जाट प्रधानमंत्री का राग अलापा। सबसे वरिष्ठ और नपे हुए नेता राजाराम मील ने तो कमाल ही कर दिया। उन्होंने साफकहा कि यूपी एमपी से नियुक्त होने वाले सरकारी पदों का सर्वाधिक लाभ जाट और मीणा को मिला है। लेकिन ज्यूडिश्यिरी में जाटों का प्रतिशत बहुत कम है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर भी टिप्पणी देखने को मिली कि जाट प्रिविलेज्ड क्लास है अत: उसे मुख्यमंत्री पर की मांग का कोई अधिकार नहीं है।

इस आयोजन के एक पखवाड़े से भी कम समय में 12 मार्च को मेंहदीपुर बालाजी

> इस सारी जातीय समाजों की सक्रियता के विपरीत एससी एसटी समाजों के लोग बिल्कुल चुप और खामोश दिखाई दे रहे है। शायद वे जानते हैं कि उनकी विशेष संवैधानिक स्थिति के कारण प्रदेश-देश की सभी पार्टियॉ अपने आप ही उनका ख्याल रखती हैं तो उन्हें शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता ही क्या है ??

स्थान पर पूर्वी राजस्थान का ''विप्र महाकुम्भ'' आयोजित किया गया। मंच पर रघु शर्मा, घनश्याम तिवाड़ी, अरूण चतुर्वेदी, महेश शर्मा जैसे बड़े माने जाने वाले ब्राह्मण नेताओं ने बड़ी-बड़ी बातें की जो पहले भी की जाती रही हैं। लेकिन बिना एजेण्डे के इस महाकुंभ का उद्देश्य क्या था यह किसी के समझ में नहीं आया।

अदभुत रूप से असमंजस पैदा करते हुये ब्राह्मणों ने सात दिन बाद ही विधाधर नगर स्टेडियम में ''ब्राह्मण महापंचायत'' का प्रदेश स्तर पर आयोजन 19 मर्च को कर डाला; चिंतन, मंथन और निर्णय का एजेण्डा लेकर किये गये इस आयोजन ''ब्राह्मण महापंचायत'' के लिए पैसा पानी की तरह बहाया। बड़े-बड़े अखबारों में पूरे-पूरे पेज के विज्ञापन पूरे प्रदेश में जारी किये गये। बैनर, पोस्टर और स्टिकर लाखों की संख्या में छपे और बंटे। प्रदेा में कोई 100 जगह सभाऐंक र ब्राह्मणों को आमंत्रित करके दो हजार क्विंटल पीले चावल बांटे जाने के समाचार भी पढने को मिले। आयोजन प्रभावी और सफल कहा जा सकता है। लेकिन इससे ब्राह्मण समाज को क्या और कितना लाभ होगा यह संदिग्ध है। कारण कि प्रदेश के सबसे बड़े ब्राह्मण संगठन '' ब्राह्मण महासभा, विप्र फाउण्डेशन, सर्व ब्राह्मण सभा की सक्रियता और भागीदारी दिखाई नहीं देने से कुल मिलाकर संदेश एक जुटता का नहीं गया। लोगों को कहते सुना कि ऐसे आयोजनों से राजनैतिक पार्टियों को समाज में फूट डालने का अवसर मिलता है और समाज को नुकसान होता है।

दोनों ब्राह्मण आयोजनों के बीच करणी सेना के संस्थापक कदावर नेता लोकेन्द्र सिंह कालवी के दिवंगत हो जाने से राजपूत समाज को आघात लगा। उनकी याद में जगह-जगह श्रृद्धांजली सभाओं का आयोजन करके राजपूत समाज ने अपनी उपस्थिति दर्शायी। दूसरी तरफ सुखदेव सिंह गोगामेडी, अध्यक्ष करणी सेना ''केसरिया महापंचायत'' को लेकर पूरे प्रदेश में दौरा करते हुए क्षत्रिय समाज को दो अप्रेल के दिन जयपुर के विधाधर नगर स्टेडियम में आने के लिए पीले चावल बांट रहे है।

इस सारी जातीय समाजों की सक्रियता के विपरीत एससी एसटी समाजों के लोग बिल्कुल चुप और खामोश दिखाई दे रहे है। शायद वे जानते हैं कि उनकी विशेष संवैधानिक स्थिति के कारण प्रदेश-देश की सभी पार्टियॉ अपने आप ही उनका ख्याल रखती हैं तो उन्हें शक्ति प्रदर्शन की आवश्यकता ही क्या है??

-समता डेस्क

समता आन्दोलन का होली मिलन समारोह

कोटा। समता आन्दोलन समिति के तत्वाधान में पारीक भवन किशोरपुरा में तिलक लगाकर एवं पुष्प वर्षा के साथ होली मिलन कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर संभागीय अध्यक्ष डा. अनिल शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि समता आन्दोलन समिति जातिगत आरक्षण समाप्त होने तक निरन्तर संघर्ष करती रहेगी। आरक्षण का लाभ हर वर्ग के उन निर्धन लोगों को मिले जिन्हें इसकी आवश्यकता है। आरक्षण जातिगत न हो कर आर्थिक हो। इस आरक्षण के कारण आज की युवा पीढी आत्महत्या करने को विवश हो रही है इसलिए आवश्यकता है प्रत्येक व्यक्ति

समाजों में सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से एवं चर्चा के द्वारा इसका विरोध करें, ताकि राजनीतिक पार्टियों को सोचने के लिए विवश होना पड़े।

इस अवसर पर मई माह में समता आन्दोलन के स्थापना दिवस को ऐतिहासिक रूप से मनाने का निर्णय लिया गया। संभागीय संयोजक राजेन्द्र गौतम, जिला अध्यक्ष गोपाल गर्ग, जिला महामंत्री कमल सिंह एवं ब्राह्मण प्रतिनिधि राजेन्द्र शर्मा आदि ने अपने संबोधन में होली की शुभकामनाओं के साथ जातिगत आरक्षण समाप्त कर सभी वर्गों को आर्थिक आधार पर न्याय संगत आरक्षण दिया जाना चाहिये इसके लिए सभी समाज के पदाधिकारियों से आव्हान किया। कार्यक्रम का संचालन जिला महामंत्री रास बिहार पारीक द्वारा किया। कार्यक्रम में छात्र प्रतिनिधि सहित सैकड़ों समता कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

पौराणिक कथन : 'पंचवटी'

रामायण के अनुसार गोदावरी के किनारे नासिक के निकट का तीर्थ जहाँ कुछ दिनों तक श्रीराम जानकी व लक्ष्मण ने निवास किया था

कितना अर्सा और कटेगा,
यूं आरक्षित तलवारों से।
कौन बचायेगा नेशन को-
सारे हिंसक बटमारों से।।

कविता

सारा देश भिखारी !!!

जिसने राज किया धरती पर,
उसको भी आरक्षण है।
जिसका कब्जा है बुद्धि पर,
उसको भी आरक्षण है।
जिसके घर में विद्या बोले,
उसको भी आरक्षण है।
जिसके अंगना लक्ष्मी डोले,
उसको भी आरक्षण है।
जिसकी बांहो में अतुलित बल,
उसको भी आरक्षण है।
जिसके घुटनों में है संबल,
उसको भी आरक्षण है।
एक बार जिसने पाया,
वह काबिज रहना चाहता है।
जिसको अब तक नहीं मिला,
वह हांसिल करना चाहता है।
आरक्षण के सट्टे पर
हर वर्ग जुआरी लगता है।
आरक्षण टुकड़े पर
सारा देश भिखारी लगता है।
आभार. श्री योगेश वशिष्ठ, जिला सचिव,
समता आन्दोलन समिति अलवर

'चलो भाई चलो'

चलो चलो भई चलो चलो
असमंजस के पार चलो।
ढलो ढलो भई खूब ढलो,
सच्चे सांचे यार ढलो।
मत मानों इसका उसका डर,
सबसे सुरक्षित अपना घर।
जो उड़ता है टेढा-मेढा
बढकर उसके कतरो पर।
हो बसंत या नीरस पतझड़
तुम तो अपनी डाल फलो।।
सदा-सदा को कभी न चलता,
तामसता घन घोर तिमिर।
सदियों से देखा है फलता
षड़ऋतुओं में एक शिशिर।
बेशक सबकुछ पा जाओगे-
भीरत से खुलो-खुलो।।
चलो-चलो भई चलो चलो।
-योगेश्वर शर्मा-

दूसरा उपाय या रास्ता

गतांग से आगे:

चूँकि आज राजनेता अपने कार्यों के बल पर अपना प्रभाव जमाने में असफल रहे हैं, अत: इसके लिए वे अलगाववादी, विशेषकर जातिवादी समूहों का सहारा लेते हैं; दूसरी बात, कई राजनेताओं का विश्वास है कि सरकारी सहायता एवं अन्य संरक्षण लेने के लिए उन्हें किसी-न-किसी अलग समूह के रूप में पहचान बनाकर संगठित होना पडेगा; तीसरी बात, आरक्षण ।

निस्संदेह पिछडों का उत्थान किया जाना चाहिए । लेकिन इस मामले में उन्हें दी जानेवाली मदद अलग तरह की होनी चाहिए ; यह ऐसे सकारात्मक उपाय के रूप में होनी चाहिए, जो उनके स्तर को ऊपर उठा सके और उन्हें दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने में मदद कर सके । नौकरियों में अर्हता- स्तर गिराकर या उनके लिए अलग से पद/सीटें रोककर उनकी मदद नहीं की जानी चाहिए ।

और फिर, इस प्रकार की सहायता का हकदार कौन है, कौन नहीं-यह व्यक्तिगत स्तर पर तय करना चाहिए, सामूहिक स्तर पर नहीं ।

व्यक्ति के पिछडेपन का मूल्यांकन करने के लिए उसकी आय, परिसंपति एवं शैक्षिक स्थिति को ही कसौटी माना जाना चाहिए, न कि जाति, धर्म को । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में तो आर्थिक मानदंड अपनाए जाते हैं; लेकिन जब आरक्षण के मामले में इन्हें अपनाने की बात की जाती है तो आखिर हल्ला क्यों मचाया जाने लगता है- 'पिछडों को बाँटने का षडयंत्र' ?

एक अन्य निर्णायक कारण भी है, जिसके बारे में हम अलग मतदान के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष पैमाने अपनाए जाने के संबंध में पढ चुके हैं । राजनीति सरकारी नीति द्वारा अपनाए जानेवाले मानदंडों के इर्द-गिर्द ही घूमती है, राजनीतिक और सामाजिक हित भी उसी पर केंद्रित हो जाता है और अंतत: सत्ता भी ।

जैसा कई मामलों में देखने को मिला है, सरल और अच्छे न्यायाधीश न्यायमूर्ति एच.आर.खन्ना ने सरल एवं स्पष्ट शब्दों में सावधान किया है, जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए । एन.एम.थॉमस मामले में उनके कुछ साथी न्यायाधीश अपने तर्कों को निराधार बना रहे थे, लेकिन उन्होंने (न्यायमूर्ति खन्ना ने) अपने स्वाभाविक अंदाज में लिखा-

मेरे विचार से अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछडे वर्गों की स्थिति को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास किए जाने की आवश्यकता के विषय पर कोई विवाद नहीं है । इस विषय पर हम सभी एकमत हैं । इन वर्गों का पिछडापन हमारे समाज के लिए एक बुराई है, जिसे अनुच्छेद 46 के अंतर्गत मिटाने की बात की गई है । इसके लिए अतीत में इन वर्गों के साथ किए जानेवाले उपेक्षापूर्ण बरताव और शोषण को समाप्त करने के लिए ठोस कदम भी उठाने पड सकते हैं, जिनसे उन्हें समाज के अन्य उन्नत वर्गों की बराबरी में लाया जा सके । लेकिन सवाल यह है कि इसके लिए जो तरीका अपनाया गया है, क्या वह अनुच्छेद 16 की धारा (1) के अनुरूप है ? मेरा खयाल है कि इस प्रश्न का उत्तर 'न' में ही होगा ।

निस्संदेह पिछडों का उत्थान किया जाना चाहिए । लेकिन इस मामले में उन्हें दी जानेवाली मदद अलग तरह की होनी चाहिए ; यह ऐसे सकारात्मक उपाय के रूप में होनी चाहिए, जो उनके स्तर को ऊपर उठा सके और उन्हें दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने में मदद कर सके । नौकरियों में अर्हता- स्तर गिराकर या उनके लिए अलग से पद/सीटें रोककर उनकी मदद नहीं की जानी चाहिए । और फिर, इस प्रकार की सहायता का हकदार कौन है, कौन नहीं-यह व्यक्तिगत स्तर पर तय करना चाहिए, सामूहिक स्तर पर नहीं ।

अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के हितों की रक्षा के साथ- साथ हमें यह भी देखना होगा कि कहीं उससे अनुच्छेद 16 की धारा (1) में उल्लिखित अवसर की समानता के सिद्धांत की अनदेखी तो नहीं हो रही है और कहीं अवसर की समानता का यह सिद्धांत मृग-मरीचिका बनकर तो नहीं रह जाता । यदि अनुच्छेद 16 की धारा (4)में उल्लिखित सिद्धांतों से आगे बढकर इस महत्वपूर्ण सिद्धांत तक पहुँचने का मौका दे दिया गया तो योग्यता की सर्वोच्चता, सेवाओं की गुणवत्ता और सार्वजनिक रोजगार के क्षेत्र में मौजूद भेदभावहीनता बुरी तरह प्रभावित होगी ।

न्यायमूर्ति ए.सी.गुप्ता ने भी इस पर अपनी सहमति प्रकट की थी । उन्होंने अनुच्छेद 15(4) के संदर्भ में न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर द्वारा दी गई चेतावनी की ओर भी संकेत किया था-संविधान में उल्लिखित किसी एक आदर्श पर आगे बढते हुए हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा करके कहीं हम संविधान के दूसरे आदर्शों की अनदेखी तो नहीं कर रहे हैं ।

हमें वर्गीकरण का कोई ऐसा सिद्धांत नहीं बनाना चाहिए, जो समानता के मौलिक सिद्धांत को ही पलटकर रख दे। किसी आदर्श समाज का मूल तत्व समानता है। अत: हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, जिससे यह सवाल खडा हो जाए कि आखिर समानता और समान अवसर का वास्तविक स्वरूप क्या है।

एम.आर.बालाजी मामले में न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर ने टिप्पणी की थी-

जब अनुच्छेद 16(4) अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों अथवा अन्य किसी निश्चित वर्ग के उत्थान के लिए विशेष प्रावधान की बात करता है तो हमें इस तथ्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि जिस प्रावधान की बात की जा रही है, वह एक विशेष प्रावधान के रूप में है; इसका स्वरूप इतना व्यापक नहीं है कि इसके आगे सरकार शेष समाज को ही उपेक्षित कर दे । वस्तुत: समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान से पूरे समाज का हित होगा, इसीलिए अनुच्छेद 15(4) में इन कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की अनुमति दी गई है । किंतु यदि कोई विशेष प्रावधान -जो अपवाद के रूप में हो- शेष समाज के हितों में नहीं है तो वह अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत आ ही नहीं सकता ।यह मानना बिलकुल असंगत होगा कि अनुच्छेद 15(4) को लागू करने में संसद् का उद्देश्य यह बिलकुल नहीं था कि पिछडे वर्गों अथवा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के उत्थान के आगे शेष समाज के मौलिक अधिकारों को पूरी तरह से उपेक्षित कर दिया जाए ।

बिलकुल सही बात है, लेकिन अभी बात अधूरी रह गई । संविधान निर्देश देता है कि हमारे समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए विशेष उपाय किए जाएँ । लेकिन यहाँ तो इन विशेष प्रावधानों को आरक्षण से जोड दिया गया है । सचमुच यह शब्द (आरक्षण) ही गरीबों को बेवकूफ बनाने के लिए है । क्या गरीबों की मदद करने का यही सबसे अच्छा रास्ता है; और इसका लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुँच भी पा रहा है या नहीं- यह सब जानने की कोशिश नहीं की जाती ।

न्यायमूर्ति गुप्ता ने सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी का एक अंश भी उद्धृत किया था, जो उसने जम्मू व कश्मीर राज्य बनाम टी.एन. खोसा मामले में की थी -

हमें वर्गीकरण का कोई ऐसा सिद्धांत नहीं बनाना चाहिए, जो समानता के मौलिक सिद्धांत को ही पलटकर रख दे । किसी आदर्श समाज का मूल तत्व समानता है । अत: हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, जिससे यह सवाल खडा हो जाए कि आखिर समानता और समान अवसर का वास्तविक स्वरूप क्या है ।

''मेरा मानना है कि ये शब्द ऐसे ही नहीं हैं । इन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए ।''न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा था ।

....शेष अगले अंक मे

अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से साभार

जिन लोगों ने पूजा-पद्धति बदल दी, उन्हें न मिले आदिवासी आरक्षण का लाभ

40 जिलों से आए जनजातीय समुदाय के लोगों ने भोपाल में किया प्रदर्शन

भोपाल में पूजा-पद्धति और धर्म बदलने वाले जनजातीय लोगों के खिलाफ चालीस जिलों से समाज के लोग जुटे। उनका कहना है कि इन्हें आदिवासी आरक्षण सूची से डीलिस्ट किया जाए।

मध्यप्रदेश में आदिवासी समुदाय में ही दो फाड़ दिख रही है। कोटे से नौकरी पाने वालों के खिलाफ जनजातीय समुदाय ने ही मोर्चा खोल दिया है। 40 जिलों से आए जनजातीय समुदाय के लोगों ने भोपाल में प्रदर्शन किया। मांग की कि जिन्होंने नौकरी हासिल की, पूजा-पद्धति बदल दी, धर्म परिवर्तन कर लिया, ऐसे आदिवासियों को तत्काल डीलिस्ट किया जाए।

यह आंदोलन जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले हुआ। क्षेत्रीय संगठन मंत्री कालू सिंह मुजाल्दा ने कहा कि धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को जनजाति का होने के हक नहीं मिलने चाहिए। हमने गांव-गांव में जाकर पंच से लेकर सांसदों और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान तक से हमने समर्थन मांगा है। वहीं मंच के प्रदेश संयोजक कैलाश निनामा का कहना है कि डीलिस्टिंग एक भावनात्मक मुद्दा है।

बात सिर्फ आरक्षण की नहीं है, यह स्वाभिमान का विषय है। यह जनजातिय संस्कृति के संरक्षण और अस्तित्व से जुड़ा मामला है। मूल सनातन को पहली पंक्ति में रखने वाले समाज का यह मुद्दा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सांसद रहते हुए बाबूजी कार्तिक उरांव ने 1967 में यह विषय उठाया था। इसके बाद भी यह बात संसद में पेंडिंग है। संसद को इस पर विचार कर तुरंत इसे लागू किया जाना चाहिए।

संगठनों की मांग है कि जिस तरह धारा 341 में अनुसूचित जाति की डीलिस्टिंग लागू की गई है, उसी तरह संविधान के अनुच्छेद 342 में संशोधन करके डीलिस्टिंग लागू की जाए। दरअसल, अनुच्छेद 341 में जो डीलिस्टिंग की गई है, उसके हिसाब से अगर कोई अनुसूचित जाति का सदस्य भारतीय धर्मों के ईसाई या मुस्लिम धर्म अपनाता है तो उसे अनुसूचित जाति को मिलने वाली सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है। आदिवासी संगठनों की मांग है कि इसी तरह अनुच्छेद 342 में संशोधन किया जाए। ताकि अगर कोई आदिवासी धर्मांतरण करे तो उसे आदिवासी समाज को मिलने वाली सरकारी योजनाओं का कोई लाभ न मिल सके।

वनमंत्री ने भी किया प्रदर्शनकारियों का समर्थन

पांचवीं अनुसूची के सवाल पर जनजाति सुरक्षा मंच के पदाधिकारियों का कहना है कि पेसा एक्ट लागू होने के बाद इसकी मांग लगभग खत्म हो गई है। भविष्य में अगर आवश्यकता हुई तो इस पर जरूर चर्चा की जाएगी। सरकार की ओर से वन मंत्री विजय शाह भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

उन्होंने कहा कि मैं भी सरकार की ओर से इस मांग को केंद्र सरकार तक ले जाऊंगा। जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी उतरा जाएगा। पद से ज्यादा मेरे लिए समाज महत्वपूर्ण है। मध्यप्रदेश में पांचवीं अनुसूची की मांग पर कांग्रेस, जयस (जय आदिवासी संगठन) गोंडवाना गणतंत्र पार्टी समेत तमाम दल लंबे समय से अड़े हैं। डीलिस्टिंग पर दलों में आम राय नहीं बन पाई है।

यह आंदोलन क्यों

जनजातीय सुरक्षा मंच का कहना है कि कई लोग आदिवासी समाज की मूल पहचान प्रकृति को छोड़ चुके हैं। वे लोग जनजातीय रुढ़ियां और परंपराओं को भी नहीं मानते। आदिवासी अधिकारों पर अतिक्रमण करते हैं। इस वजह से इन्हें डीलिस्ट किए जाने की जरूरत है। वे धर्म परिवर्तन करने के बाद भी आदिवासियों को मिलने वाले लाभों का फायदा उठा रहे हैं। इससे मूल आदिवासियों को वह लाभ नहीं मिल पा रहे हैं।

डीलिस्टिंग गर्जना रैली

जनजातीय सुरक्षा मंच ने भोपाल के भेल दशहरा मैदान पर डीलिस्टिंग गर्जना रैली की। इस रैली में आदिवासी समुदाय ने अपने हक के लिए हुंकार भरी। एकसूत्री मांग यह है कि जिन लोगों ने मत बदल लिया या धर्म बदल लियाए उन्हें आरक्षण समेत अन्य योजनाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए। मंच ने चेतावनी दी है कि यदि मांगों को नहीं माना गया तो दिल्ली कूच करेंगे। रिटायर्ड आईएएस अधिकारी श्यामसिंह कुमरे ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि एक से दूसरे धर्म में जाने पर सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इसके बाद भी उन्हें लाभ मिल रहा है। इससे हमारे समाज के लोग गलत दिशा में जा रहे हैं।

सीआईएसएफ भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा 10 प्रतिशत आरक्षण

अधिकतम आयु सीमा में छूट का भी प्रावधान

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में रिक्त पदों पर भर्ती में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है। एक सप्ताह पहले ही गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए बीएसएफभर्ती में इसी तरह की घोषणा की थी।

गृह मंत्रालय ने कहा है कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक और अन्य बैचों के उम्मीदवारों के लिए तीन वर्ष तक की छूट दी जाएगी। पूर्व-अग्निवरों को फिजिकल टेस्ट से भी छूट रहेगी।

मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट की भी घोषणा की है। यह अग्निवीरों के पहले बैच या बाद के बैचों के आधार पर मिलेगी। इसके लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियमए 1968 के तहत बनाए गए नियमों में संशोधन किया गया है। अधिसूचना में कहा गया है कि 10 प्रतिशत पद पूर्व.अग्निवरों के लिए आरक्षित होंगे।

मंत्रालय ने कहा है कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक और अन्य बैचों के उम्मीदवारों के लिए तीन वर्ष तक की छूट दी जाएगी। अधिसूचना में कहा गया है कि पूर्व.अग्निवरों को फिजिकल टेस्ट से भी छूट रहेगी, यानी उन्हें फिजिकल टेस्ट से गुजरना नहीं पड़ेगा।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने पिछले साल 14 जून को थल सेनाए नौसेना और वायुसेना में 17 से साढ़े 21 वर्ष की आयु के युवाओं की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा की थी। इस योजना के तहत पहले चार साल के अनुबंध के आधार पर युवाओं की भर्ती की जाएगी। इसके तहत सेनाओं में भर्ती होने वाले जवानों को अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा।

केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में 10 प्रतिशत रिक्तियां अग्निवीरों के लिए आरक्षित

सरकार की घोषणा के मुताबिक, अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी होने के बाद प्रत्येक बैच से 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित सेवा की पेशकश की जाएगी। इसके लिए अग्निवीरों को टेस्ट पास करना होगा।

अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद गृह मंत्रालय ने कहा था कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और असम राइफल्स में 10 प्रतिशत रिक्तियां पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी।

फिलहाल, अर्धसैनिक बलों में भर्ती के लिए आयु सीमा 18-23 वर्ष है। अग्निपथ योजना के तहत 21 वर्ष की अधिकतम आयु सीमा पर भी सशस्त्र बलों में शामिल होने वालों को पहले बैच के मामले में सेना या वायुसेना या नौसेना में चार साल की सेवा के बाद 30 साल की उम्र तक और बाद के बैचों के लिए 28 साल तक सीआईएसएफ द्वारा भर्ती किया जा सकता है। इसी तरह का बदलाव सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में भी किया गया है।

आरक्षण के लिए गंगाजल यात्रा

आरक्षण के लिए 16 मार्च से शुरू होकर गंगाजल यात्रा 30 मार्च को दिल्ली पहुंचेगी

अखिल भारतीय कश्यप निषाद युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व राज्य मंत्री सुधाकर कश्यप ने कहा कि इस बार आरक्षण लेकर ही रहेंगे। आरक्षण की मांग को लेकर 15 दिवसीय गंगाजल यात्रा 16 मार्च को हरिद्वार से शुरू होकर 30 मार्च को दिल्ली पहुंचने की संभावना है।

रामकृष्ण पुरम कॉलोनी के वाईपीएस पब्लिक स्कूल में महर्षि कश्यप शिक्षा समिति की ओर से होली मिलन समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि सुधाकर कश्यप ने कहा कि अब तक किसी भी सरकार ने कश्यप समाज का कोई भला नहीं किया है। उनको सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। समाज के लोग पिछले कई वर्षों से आरक्षण की मांग करते चले आ रहे हैं। अब कश्यप समाज आरक्षण लेकर रहेगा।

बताया कि गंगाजल यात्रा 30 मार्च को दिल्ली में जंतर मंतर पर पहुंचेगी और यहां जनसभा कर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस दौरान बाबूराम कश्यप, सपा नेता गोल्डी अहलावत ने भी अपने विचार रखें। आयोजक बसपा नेता ब्रह्मदत्त कश्यप और ओम दत्त कश्यप रहे।

बात उसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है आरक्षण बिल पर फिर बोले भूपेश

छत्तीसगढ़ में लंबे समय से लटके हुए आरक्षण बिल को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में भाजपा समर्थन करती हैए लेकिन फिर एकात्म परिसर से पर्ची राजभवन जाती है।

भाजपा छत्तीसगढ़ के युवाओं से खिलवाड़ कर रही है। कहा कि, विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण को संदेहास्पद बताते हुए भाजपा ने हंगामा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि, बात उसूलों पर आए तो टकराना जरूरी है। सीएम बघेल रविवार को बिलासपुर पहुंचे थे।

छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री बघेल ने यादव समाज के अहीर रेजिमेंट और जातीय जनगणना की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि, अहीर समाज समय-समय पर अपना बलिदान देता आया है। लंबे समय से अहीर रेजिमेंट की मांग चल रही है, उसका हम समर्थन करते हैं। इसके अलावा अहीर समाज के लिए जातीय जनगणना का भी समर्थन है। ताकि अहीर समाज के लोगों की जनगणना का योजनाओं के हित को उन तक पहुंचाया जा सके।

एसईसीएल के हैलीपैड पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा किए पहले राज्यपाल कहती थीं कि एक घंटे में हस्ताक्षर कर दूंगी, लेकिन दो दिसंबर से मार्च आ गया। हस्ताक्षर नहीं हुए। बहुत सारी भर्ती रुकी हुई है, बहुत सारी परीक्षाएं होनी है। जब बिल प्रस्तुत होता है, तो उससे पहले राज्य सरकार और पारित होने के बाद विधानसभा की संपत्ति हो जाता है।

विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित हो गया। राज्यपाल के पास गया तो वह हमसे सवाल करती हैं। इसको हमने हाईकोर्ट में चुनौती दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि, इसी बात को लेकर भाजपा विधायकों ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान बिल मुद्दे को संदेहास्पद बताया।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in